

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 33/2017 Gems No. 2017/00206

दायरा तिथि : 09.10.2017

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 29.07.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 8-11-2021

वादी :-

गिदा पुत्र निम्बाजी जाति रेवारी

निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- वासिल जे. मासडो पुत्र श्री केन्नेथ मासडो  
129 सागर समीर, जे.पी.रोड वरसोवा (मुम्बई)
- तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपरिस्थिति :-

- श्री संतोषकुमार शर्मा अभिभाषक वादी की ओर से
- प्रतिवादी संख्या-01...अनुपरिस्थित
- नायब तहसीलदार, बाली परोकार सरकार

--: निर्णय :-

दिनांक : 8-11-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3505/1 3577/1 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.48 हैक्टर किस्म नहरी दायम कुल वार्षिक लगान 19.24 रुपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादी पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं-0-01 के मध्य बाई मिट्टस एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू-01 वादी स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या-01 की तामील प्रासेस सर्विस व रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने से महाराष्ट्र राज्य के दैनिक समाचार पत्र में सम्मन छाया कराये गये। सम्मन अखबार में छाया के पश्चात् प्रतिवादी संख्या-01 की ओर से वकील श्री एम.ए.कलाम ने वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया। प्रतिवादी संख्या-01 के अधिवक्ता श्री एम.ए. कलाम को अण्डर टेकिंग अनुसार वकालतनामा प्रस्तुती व जवाबदावा पेश करने के लिये न्यायालय द्वारा कई मर्तबा समय/अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 18.11.2019 को न्यायालय में No Instruction Plead किया गया। जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2019 को प्रतिवादी संख्या-01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाबदावा का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार, बाली के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं होने बावत् परोकार सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण में वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3505/1, 3577/1 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.48 हैक्टर किस्म नहरी दायम कुल वार्षिक लगान 19.24 रुपये के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या- 01 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारों के मध्य बाई मिट्टस एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/प्रगासअ/मू.अ./2021/425 दिनांक 29.10.2021 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शा में दर्शित रंग
01	गिदा पुत्र निम्बा जाति रेवारी सा.देह खातेदार	3505/1	0.44	न.दो.		लाल
		3577/1	0.30	न.दो.		
		02	0.74			
02	वासिल जे. मासडो पुत्र केन्नेथ मासडो साकिन 129 सागर समीर जे.पी. रोड वरसोवा मुम्बई खातेदार	3505 मि.	0.44	न.दो.		हरा
		3577 मि.	0.30	न.दो.		
		02	0.74			

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के संबंध में वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त करने तथा विभाजन प्रस्ताव रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही होने से उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस के पश्चात् ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 3505/1 3577/1 कुल खसरा-02 कुल रकबा 1.48 हैक्टर किस्म नहरी दायम कुल वार्षिक लगान 19.24 रुपये के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या- 01 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

पेज लगातार

//02//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 32/2017 Gcms No. 2017/00207

अनवान गिदा बनाम बासिल जे मासडो वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	गिदा पुत्र निम्बा जाति रेबारी सा.देह खातेदार	3505 / 1	0.44	न.दो.		लाल
		3577 / 1	0.30	न.दो.		
		02	0.74			
02	बासिल जे. मासडो पुत्र कैन्नेथ मासडो साकिन 12ए. सागर समीर जे.पी. रोड वरसोवा बम्बई खातेदार	3505 मि.	0.44	न.दो.		हरा
		3577 मि.	0.30	न.दो.		
		02	0.74			

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 19.24 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा II को लिखा जावे। पत्रावली फाईसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( श्री अतुल प्रकाश )

आई.ए.एस.

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 28-11-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली